

# जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा

## जिला - महासमुंद (छ.ग.)

(पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाजू, जिला पंचायत रोड, फोन: 07723-222291, ई-मेल: mis.mahasamund@gmail.com)

ज्ञा.क्र./584 / समग्र शिक्षा / स्थापना/समावेशी शिक्षा / 2023

महासमुंद दिनांक 12/09/2023

### -: स्पेशल एजुकेटर (समावेशी शिक्षा) का विज्ञापन :-

राज्य राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/1087/SS/24/14/ सेकेण्डरी/2021-22 रायपुर दिनांक 04/07/2022 के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की निर्धारित मानदेय 20,000/- प्रतिमाह की दर से 06 माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिला महासमुंद हेतु स्वीकृत पद अनुसार रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	स्पेशल एजुकेटर के स्वीकृत पदों की संख्या
1	महासमुंद	03

रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	प्रति माह मान देय	स्वीकृत पद	अनुसूचित जनजाति		अनुगृहित जाति		अंच पिछड़ा वर्ग		अनाजित		योग						
				मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग			
1	स्पेशल एजुकेटर	20,000	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	
	योग		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3

शैक्षणिक / अन्य अहंताएँ:-

- रनातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा रनातकोत्तर के साथ बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
- बी.एड. (विशेष शिक्षा)/02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा से आशय है कि - दृष्टिव्याप्ति, श्रवणव्याप्ति, वौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेंडल पाल्सी, बघिरान्धता में से कम से कम चारों एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) हाना चाहिए।
- आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, छ.ग. के स्थाई निवासियों के लिये अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

Signature

## नियम एवं शर्तें :-

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा खीकृत अवधि 06 माह के लिए ही अस्थाई रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए खीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पर्देन जिला मिशन सचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी। और सेवा वगैर पूर्व सूचना के स्वेच्छ समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने रांबंधी पा प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपरित्थि होना पड़ेगा अन्यथा भरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्थीकृत कर दिया जायेगा।
- कलेक्टर एवं पर्देन जिला मिशन सचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में र्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पर्देन जिला मिशन सचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रु. 20,000/- (अक्षरी वीस हजार रु. भात्र ) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

## आवेदन की प्रक्रिया -

- रिक्त पदों पर भर्ती हेतु योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन गूगल-लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 12 सितंबर 2023 से 21 सितंबर 2023 को शाम 05:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विवार नहीं किया जावेगा।
- विज्ञापन का अवलोकन एवं ऑनलाईन आवेदन हेतु लिंक जिले के वेबसाइट [www.mahasamund.gov.in](http://www.mahasamund.gov.in) पर उपलब्ध है।
- र्पेशल एजुकेटर ऑनलाईन आवेदन हेतु गूगल-फॉर्म लिंक :-  
<https://forms.gle/HQpxJ5j4XyWK5AQTA>
- आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरे।
- आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जावें। कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से आवेदन खीकार नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.09.2023 समय अपराह्न 05 बजे निर्धारित है।

*Salon*

## चयन प्रक्रिया :—

1. निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर का 50 प्रतिशत एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) 50 प्रतिशत।
2. स्नातकोत्तर का 50 प्रतिशत, बी.एड. (सामान्य) 25 प्रतिशत के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में 25 प्रतिशत।
3. निर्धारित तिथि 21.09.2023 को शाम 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदन की स्कूटनी की जायेगी। स्कूटनी के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बिन्दु 1 व 2 के आधार पर तैयार की जायेगी।
4. मेरिट के आधार पर 03 विज्ञापित पद के विरुद्ध 30 अभ्यर्थियों को अधिकतम (1:10) दस्तावेज सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जायेगा।
5. दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर, आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये 03 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
6. जिले के 03 विकासखण्ड महारामुन्द/पिथोरा/सरायपाली में एक-एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में निर्धारित अवधि 06 माह के लिये नियुक्त किया जायेगा।

## स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :—

1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
4. इन बच्चों के पालकों को समय - समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे- छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्काट - ट्रांसर्पाट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यावृत्ति आदि।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
9. शालाओं में पियर्स गुप (सहपाठी समूह) तैयार करना। जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित बातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्राप्तसाहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही उदादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत संपर्क में रहना।
13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उद्दिष्ट सुधार व सुझाव देना।
14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आधारित बुलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।

*Salek*

15. जनभागीदारी समिति (SMC/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थेरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थेरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना/सहयोग देना।
17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिये प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला/जनभागीदारी समिति/पालक को देना।
18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल-लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चंक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सत्र संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
20. प्रत्येक संकुल को कहर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
21. इसके अतिरिक्त समय – समय पर राज्य एवं जिला रत्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत पदेन  
जिला परियोजना संचालक  
समग्र शिक्षा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)